अनुदान संख्या 10 - वाणिज्य विभाग
GRANT No. 10 - DEPARTMENT OF COMMERCE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*			*50,00*	..	*-50,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*50,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	5672,50,00				
				6797,51,00	6686,02,22	-111,48,78
पूरक	Supplementary	1125,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					91,18,53
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	400,00,00				
				400,01,00	395,00,00	-5,01,00
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत *₹ 50.00 लाख* का *विनियोग* पूरी तरह से अनुप्रयुक्त रहा और हमें अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹50.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	14998.00	13612.80	13153.09	-459.71
पु.	R.	-1385.20			
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations				
मू.	O.	62195.00	76345.57	76343.57	-2.00
पू.	S.	201.00			
पु.	R.	13949.57			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	12584.00	0.31	..	-0.31
पु.	R.	-12583.69			
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	477473.00	580673.79	579105.56	-1568.23
पू.	S.	112300.00			
पु.	R.	-9099.21			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹12721.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹12584.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अधीन लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹12721.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹12584.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "चाय – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹7689.00 लाख;

(A) "Tea-Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹7689.00 lakhs;

(खा) "काफी – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹736.00 लाख;

(गा) "रबर – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹2770.00 लाख;

(घा) "मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹849.00 लाख; और

(डा) "अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹540.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "3453" – "निर्यात सब्सिडी – शिपमेंट पूर्व और शिपमेंट बाद रुपए निर्यात क्रेडिट पर ब्याज तुल्यकरण स्कीम" – ₹262150.00 लाख का मूल प्रावधान मार्च, 2023 में ₹74199.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त कर ₹336349.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, सब्सिडी के कम दावे प्राप्त होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान कम करने के कारण ₹24548.00 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वाणिज्य विभाग" – ₹1913.47 लाख की बचत (₹14643.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में छुट्टी यात्रा रियायत, आनलाइन बैठकें/प्रशिक्षण करने से कम संख्या में यात्राओं के कारण और संविदा की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण ठेकेदारों को भुगतान के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(B) "Coffee - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹736.00 lakhs;

(C) "Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2770.00 lakhs;

(D) "Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹849.00 lakhs; and

(E) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹540.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3453" - "Export Subsidy - Interest Equalization Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit" - the original provision of ₹262150.00 lakhs was augmented to ₹336349.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹74199.00 lakhs in March, 2023 which, however, remained unutilised to the extent of ₹24548.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims of subsidy.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Commerce" - saving of ₹1913.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14643.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less leave travel concession claims, less tours owing to online conduction of meetings/trainings and requirement of less funds towards payment to contractors due to non-fulfillment of conditions of contract.

(IV) Under Major Head "3453" - savings occurred under the following heads:-

(का) "विदेश व्यापार नियंत्रण – विदेश व्यापार महानिदेशक" – ₹2387.01 लाख की बचत (₹15592.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, "निर्यात हब के रूप में जिले" योजना के अंतर्गत कम मांग और व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade" - saving of ₹2387.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15592.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less demand under "Districts as Export Hubs" scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(खा) "व्यापार सूचना सांख्यिकी – वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक" – ₹537.41 लाख की बचत (₹3705.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, "निर्यात हब के रूप में जिले" स्कीम के अंतर्गत कम मांग, रेलवे बोर्ड से कम संख्या में बिल प्राप्त होने और व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics" - saving of ₹537.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3705.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less demand under "Districts as Export Hubs" scheme, non-receipt of bills from Railway Board and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(गा) "व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा – व्यापार उपचार महानिदेशालय" – ₹551.48 लाख की बचत (₹2780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृत पदों की संख्या घटने, प्रकाशन के तहत विक्रेताओं से कम दावे प्राप्त होने और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(C) "Trade Remedies and Trade Defence - Directorate General of Trade Remedies" - saving of ₹551.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2780.00 lakhs) was due to reduction in sanctioned strength, receipt of less claims from vendors under publication and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(घा) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास" –

(क) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान" – ₹9254.86 लाख की बचत (₹22100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम मांग संचालित होने के नाते इस स्कीम के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹4448.00 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹27661.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा

(D) "Assistance for Export Promotion and Market Development" -

(a) "Grants-in-aid to Export Promotion and Market Development Organisations" - saving of ₹9254.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22100.00 lakhs) was due to receipt of less claims under Duty Drawback Scheme, scheme being demand driven.

(b) "Boards, Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹4448.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹27661.00 lakhs including token supplementary grant

संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, विशेष प्रयोजन वाहनों के गठन के लिए समिति की बैठक नहीं बुलाने, अनुक्रिया के अभाव, मुम्बई में आई आई पी प्रयोगशाला को विश्व स्तरीय प्रयोगशाला में उन्नयित करने से संबंधित कार्य सौंपने में देरी, मैदान गढ़ी केंपस में पूंजीगत व्यय और काकीनाडा केंपस में संचालनात्मक व्यय के लिए निधियों के गलत अनुमान के कारण हुई।

of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure, non-convening of Committee for setting up Special Purpose Vehicles, lack of response and delay in awarding work in respect of the project "Upgradation of IIPs Laboratory into World Class Laboratory" at Mumbai, incorrect projection of fund made for capital expenditure of Maidan Garhi Campus and operational expenditure at Kakinada Campus.

(डा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना ऋण बोर्ड, प्राधिकरंण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹600.01 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सब्सिडी घटक के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान नहीं होने के कारण हुई।

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Boards Authorities and Autonomous Bodies"- saving of ₹600.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-identification of eligible beneficiaries under the subsidy component.

(V) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2668.00 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थी किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 43 प्रतिशत थी।

(V) Under seven heads savings of ₹2668.00 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 18 percent to 43 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹45551.76 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹38301.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

3.(I) The above savings were partly (₹45551.76 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹38301.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407" –

(क) "चाय" –

(i) "उपकर संग्रह के प्रति भुगतान – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹5400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5399.60 लाख था।

(A) Major Head "2407" -

(a) "Tea" -

(i) "Payment against Collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹5400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5399.60 lakhs.

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹2361.19 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2361.09 लाख हुआ।

(ख) "काफी – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹736.00 लाख।

(ग) "रबर – उपकर संग्रह के प्रति भुगतान – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹2500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2499.50 लाख था।

(घ) "मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹849.00 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" – "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता" –

(क) "निर्यात संवर्धन योजना" – ₹4851.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4850.56 लाख था।

(ख) "विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विप्पणन सहायता (टीएमए)" – ₹28854.57 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "2407" – "रबर – अन्य व्यय – बोर्द, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय" – ₹2770.00 लाख का अधिक व्यय (₹667.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(ii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies"- ₹2361.19 lakhs. Actual excess, however, was ₹2361.09 lakhs.

(b) "Coffee - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹736.00 lakhs.

(c) "Rubber - Payment against Collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2499.50 lakhs.

(d) "Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹849.00 lakhs.

(B) Major Head "3453" - "Assistance for Export Promotion and Market Development" -

(a) "Export Promotion Scheme" - ₹4851.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4850.56 lakhs.

(b) "Transport and Marketing Assistance for Specified Agriculture Products (TMA)" - ₹28854.57 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2407" - "Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - excess of ₹2770.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹667.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" –

(क) मुख्य शीर्ष "3453" – "विदेश व्यापार नियंत्रण – अवसंरचना और आई टी का आधुनिकीकरण" – ₹541.34 लाख का अधिक व्यय (₹2490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई–बिल के कार्यान्वयन के लिए आधुनिकीकरण और नए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद के अंतर्गत रिकार्ड भुगतान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "व्यापार प्रतिनिधित्व – व्यापार आयुक्त" – ₹740.22 लाख का अधिक भुगतान (₹22876.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने, विदेश भत्ते में संशोधन, मिशनों में मकान के किराये में वृद्धि और मुद्रा विनिमय में विचलन के कारण हुआ ।

4. अनुदान के पूंजीगत खंड में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

(B) Major Head "3453" -

(a) "Foreign Trade Control - Modernisation of Infrastructure & IT" - excess of ₹541.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2490.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards meeting the milestones payment under modernisation and purchase of new information technology equipment for implementation of e-bill and other establishment related expenses.

(b) "Trade Representation - Trade Commissioners" - excess of ₹740.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22876.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts, revision of foreign allowance, increase in house rental across the Missions and exchange rate variation.

4. In the capital section of the grant, saving/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय	Capital Outlay on Public Works				
पू.	S.	1.00	700.00	700.00	..
पु.	R.	699.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	40000.00	38800.00	38800.00	..
पु.	R.	-1200.00			

(I) मुख्य शीर्ष "5465" – "ट्रेडिंग संस्थानों में निवेश– सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम – निर्यात संवर्धन योजनायें" – ₹1200.00 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "5465" - "Investments in Trading Institutions - Investments in Public Sector and other Undertakings - Export Promotion Schemes"- Saving of ₹1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

5. उपर्युक्त बचतें प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹699.00 लाख) उपयोग कर ली गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – डी ओ सी के लिए वाणिज्य भवन का निर्माण" के अंतर्गत दिसंबर, 2022 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

5. The above saving was partly (₹699.00 lakhs) utilised for augmenting the provision as already reported to parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2022 under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Construction of Vanijya Bhawan for DoC".